

राजस्थान सरकार
निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(आई-3)आईडब्ल्यूएमपी/निजमूस/2011/4495-4794 दिनांक: ५-८-11


-: कार्यालय आदेश :-

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.18(आई-3)आईडब्ल्यूएमपी/डब्ल्यूडीएससी/2010-11/5730-6088 दिनांक 28.04.2010 के अनुसार जलग्रहण विकास दल सदस्य (पशुपालन) हेतु बी.वी.एस.सी. एवं न्यूनतम 2 वर्षीय डिप्लोमाधारियों को पात्र माना गया था।

पशुपालन विभाग द्वारा आदेश दिनांक 17.05.2002 के माध्यम से विभागीय एवं निजी क्षेत्र में संचालित पशुपालन विद्यालयों में एक वर्षीय पशुधन सहायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को दो वर्षीय शिक्षण पाठ्यक्रम किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।


अतः उपर्युक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए पशुपालन विभाग द्वारा संचालित पशुपालन विद्यालय अथवा राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त पशुपालन संस्था से वर्ष 2002 से पूर्व एक वर्षीय डिप्लोमाधारियों को भी जलग्रहण विकास दल सदस्य (पशुपालन) हेतु पात्र घोषित किया जाता है।

उक्त आदेश श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए. के स्तर से अनुमोदित है।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक

क्रमांक : एफ.18(आई-3)आईडब्ल्यूएमपी/निजमूस/2011/4495-4794 दिनांक: ५-८-11

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
6. मुख्य लेखाधिकारी, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/एमआईईएस), निदेशालय, जयपुर
8. उपनिदेशक(आईडब्ल्यूएमपी/जीविकोपार्जन/गुनिस/प्रशिक्षण/कृषि/ग्रामीण विकास/एनडब्ल्यूडीपी/प्रशासन) निदेशालय, जयपुर।
9. समस्त परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड कम डाटा सेंटर एवं अधिशाषी अभियन्ता (भू संसाधन), जिला परिषद,
10. समस्त लेखाधिकारी जिला परिषद
11. सहायक अभियन्ता, सम्बंधित पंचायत समिति।
12. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेब साईट पर अपलोड करें।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक